प्रेषक,

सुबर्द्धन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग

देहरादून : दिनांक 20 मार्च, 2013

विषय : **संचालन मद, अनुदान सं0–20/4701–80–003–03–00–24 के अन्तर्गत धनावंटन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रसंख्या 1086/मु0अ0वि0/नि0अनु0/पी–27 (योजना) दिनांक 09.07.2012, पत्रसंख्या 236/मु0अ0वि0/नि0अनु0/पी–27 (योजना) दिनांक 06.02.2013 एवं पत्रसंख्या 541/मु0अ0वि0/नि0अनु0/पी–27 (योजना) दिनांक 08.03.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु आय–व्ययक के अनुदान सं0 20 में राज्य सैक्टर के अन्तर्गत प्रशिक्षण मद में प्राविधानित धनराशि ₹ 15.00 लाख (₹ पन्द्रह लाख मात्र) की धनराशि वर्णित लेखाशीर्षक के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) आहरण एवं व्यय नियमानुसार किश्तों में वास्तविक व्यय के अनुसार आवश्यकता के अनुरूप ही किया जायेगा एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न ही अधिक व्यय भार सृजित किया जायेगा।

(ii) उक्त स्वीकृति के अधीन आहरण एवं व्यय से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के सुसंगत प्राविधानों, वित्तीय नियमों एवं मितव्ययता सम्बन्धी समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

(iii) स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन कदापि न किया जाये। प्राविधानों एवं नियमों का अनुपालन न करने तथा स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन करने पर सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

(iv) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष प्रतिमाह व्यय की सूचना निर्धारित प्रपत्रों पर वित्त विभाग, महालेखाकार एवं शासन को ससमय उपलब्ध करायी जाय।

(v) धनराशि का आहरण/व्यय आवश्यकतानुसार एवं मितव्ययता को ध्यान में रखकर किश्तों में किया जाय।

(vi) **वित्त विभाग के शासनादेश सं0–183/XXVII(1)/2012, दिनांक 28.03.2012 एवं शासनादेश सं0–321/XXVII(1)/2012, दि0–19.06.2012 में दिये गये दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।**

(vii) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2012–13 में अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–003–प्रशिक्षण–03–निर्माण कार्य–24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

2. उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–321/XXVII(1)/2012, दिनांक 19.06.2012 में दिये गये निर्देशों के अनुसार जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुबर्द्धन)
सचिव।

क्रमशः......2

संख्या–564 (1)/ II–2013–03(41)/2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड वैभव पैलेस सी–1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3. निजी सचिव, सिंचाई मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
5. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, पौड़ी।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. वित्त विभाग (वित्त अनुभाग–2), उत्तराखण्ड शासन।
8. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

संलग्न : यथोक्त।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।